# मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
## किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

वेबसाइट - www.mpmandiboard.gov.in
ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./Ramraja Multi-State/692/3719 भोपाल, दिनांक 22/08/2023

प्रति,

Ramraja Multi-State Agro Co-operative Society Ltd.

पंजीकृत कार्यालय - 102, Eligent Tower, Royal City, Shivpuri Road, Jhansi, Uttar Pradesh - 110006

स्थानीय पता - BDA Colony, A-7, Tulsi Nagar, Bhopal District Bhopal, Madhya Pradesh - 462001

विषय :- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन विशेष अनुज्ञप्ति के संबंध में।

संदर्भ :- आपका आवेदन दिनांक 27/06/2023।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 32-क के अधीन निर्मित नियम मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु Ramraja Multi-State Agro Co-operative Society Ltd. से संदर्भित आवेदन प्राप्त हुआ है।

2. संदर्भित आवेदन के माध्यम से निम्न विनिर्दिष्ट मंडियो के क्षेत्रांतर्गत कारोबार करने हेतु क्रय केंद्र स्थापना की अनुमति हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है -

| क्र | मंडी समिति का नाम | क्रय की जाने वाली कृषि उपज का समूह |
|---|---|---|
| 1 | करेरा | तिलहन, धान्य तथा दलहन |
| 2 | पिछोर | तिलहन, धान्य तथा दलहन |
| 3 | निवाड़ी | तिलहन, धान्य तथा दलहन |

3. आवेदन पर विचारोपरांत **अधिसूचित प्राधिकारी प्रबंध संचालक महोदय** द्वारा Ramraja Multi-State Agro Co-operative Society Ltd. को नियम 2009 के तहत उक्त बिंदु 2 में अंकित मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने का विनिश्चय किया गया है। अधिसूचित प्राधिकारी के विनिश्चय उपरांत **विशेष अनुज्ञप्ति प्रमाणपत्र एवं संलग्नक** प्रसारित किया जा रहा है, पत्र के संलग्न प्रेषित है।

4. संलग्नक में अनुमोदित क्रय केंद्रों की सूची संलग्न है जोकि उक्त विशेष अनुज्ञप्ति का भाग होगी। उक्त सभी क्रय केंद्रों को सम्मिलित कर अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम क्रय मात्रा के संबंध में नियम

2009 की कंडिका 4(2) के प्रावधान लागू रहेंगे।'

5.. अधिनियम, नियम, उपविधि, के प्रावधानों तथा ई-अनुज्ञा पोर्टल पर कार्य करने के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना बंधनकारी होगा।

(प्रबंध संचालक महोदय के अनुमोदन एवं आदेशानुसार जारी)

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

सहायक संचालक (नियमन)
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./Ramraja Multi-State/692/ 3720 भोपाल, दिनांक 22 /08/2023

प्रतिलिपिः-

1. संयुक्त/उप संचालक, म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय - (समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। अनुज्ञप्तिधारक से अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध है। आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मंडी समिति को दी जाएं।

2. सचिव कृषि उपज मंडी समिति__________जिला__________, म. प्र. (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3. सहायक संचालक (आईटी शाखा), म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञप्तिधारी Ramraja Multi-State Agro Co-operative Society Ltd. को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति की ई-अनुज्ञा मॉड्यूल मे।आवश्यक प्रविष्टि की जाएं।

सहायक संचालक (नियमन)
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

22/08/23

# मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय

## किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

प्ररूप - तीन

(नियम 9 देखिए)

एक से अधिक मंडी क्षेत्रों मे अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष अनुज्ञप्ति

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2023/35

दिनांक /08/2023

1. श्री/श्रीमती/कुमारी/मेसर्स Ramraja Multi-State Agro Co-operative Society Ltd., पता पंजीकृत कार्यालय - 102, Eligent Tower, Royal City, Shivpuri Road, Jhansi, Uttar Pradesh - 110006, स्थानीय पता - BDA Colony, A-7, Tulsi Nagar, Bhopal District Bhopal, Madhya Pradesh - 462001 को अधिनियम की धारा 32-क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारबार हेतु तारीख ...22... माह....08.... वर्ष 2023 को विशेष अनुज्ञप्ति अनंतिम रूप से दी जाती है :-

| अनु क्र. | अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/ नवीनीकृत की गई है। | विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है। | संबंधित मंडी समिति का नाम | विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम | कारबार का स्थान, कार्यालय का पता | कार्यालय प्रमुख का नाम पदनाम एवं पता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| संलग्न सूची - परिशिष्ट - 1 अनुसार. | | | | | | |

2. इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष मे समस्त क्रय केन्द्रो मे मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करे :-

| अनु क्र. | अधिसूचित कृषि उपज का नाम | प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा (मीट्रिक टन में (नियम 4 (2) देखिए) |
|---|---|---|
| 1 | तिलहन | 2000 मीट्रिक टन |
| 2 | धान्य तथा दलहन | 2000 मीट्रिक टन |

3. अनुज्ञप्तिधारी, इस अनंतिम अनुज्ञप्ति के दिए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिर्दिष्ट क्रय केंद्र पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगा :-

(एक) इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज

(दो) पेयजल की समुचित व्यवस्था

(तीन) समुचित प्रकाश व्यवस्था

(चार) पुरुष/महिला के लिये शौचालय की सुविधा

(पांच) शेड की व्यवस्था

(छह) कृषकों के लिये छायादार विश्राम स्थल

(सात) भुगतान काउंटर

(आठ) ट्रेक्टर ट्राली की पार्किंग की समुचित व्यवस्था

(नौ) नमी, कचरा, क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये उपकरण तथा मानव शक्ति

(दस) प्रवेश, विक्रय-क्रय, भुगतान तथा तौल काउन्टरों/ क्षेत्रों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापना

(ग्यारह) क्रय-विक्रय लेखा की मैन्युअल के साथ ही डिजीटल बैकअप प्रणाली संधारण.

एक्सचेंज अनुज्ञप्तिधारक के मामले में -

(एक) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म

(दो) उपयुक्त उपकरण के साथ श्रेणीकरण किस्म परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सुविधा.

(तीन) सुपुर्दगी केन्द्र

विनिर्दिष्ट क्रय केंद्रों में से किसी क्रय केंद्रों में प्रथम वर्ष की समाप्ति पर उपरोक्त प्रसुविधाओं को सृजित करने में असफल रहने पर, एक वर्ष के लिये दी गई अनंतिम विशेष अनुज्ञप्ति को ऐसे क्रय केंद्र के लिये आगामी वर्षों के लिये नियमित नहीं किया जाएगा.

4. यह **विशेष अंनतिम अनुज्ञप्ति दिनांक ...22.../08/2023 से...21.../08/2024 तक प्रभावशील रहेगी**, परंत अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रद्द की जा सकेगी.

5. यह अंनतिम अनुज्ञप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रद्द की जा सकेगी :-

(एक) विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र मे कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर.

(दो) मंडी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न करने पर.

(तीन) मंडी फीस का अपवंचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाली मंडी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर.

(चार) मंडी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना-पत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिक्रमी पाये जाने पर.

(पांच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियों प्रस्तुत न करने पर.

(छः) बोर्ड, मंडी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर.

(सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय न किये जाने पर.

**(प्रबंध संचालक सह आयुक्त के अनुमोदन एवं आदेशानुसार जारी)**

अनुज्ञप्ति जारीकर्ता कार्यालय की मोहर

कार्यालय प्रबंध संचालक

सहायक संचालक (नियमन)
वास्ते - अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

परिशिष्ट - 1

Ramraja Multi-State Agro Co-operative Society Ltd.

पंजीकृत कार्यालय - 102, Eligent Tower, Royal City, Shivpuri Road, Jhansi, Uttar Pradesh - 110006

स्थानीय पता - BDA Colony, A-7, Tulsi Nagar, Bhopal District Bhopal, Madhya Pradesh - 462001

| अनु क्र. | अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/ नवीनीकृत की गई है। | विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है। | संबंधित मंडी समिति का नाम | विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम | कारबार का स्थान, कार्यालय का पता | कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | तिलहन, धान्य तथा दलहन | करेरा | करेरा | - | Ramraja Multi-State Agro Co-operative Society Ltd. BDA Colony, A-7, Tulsi Nagar, Bhopal District Bhopal Madhya Pradesh - 462001 | श्री संजय गुप्ता मो.नं.- 9425338189 |
| 2 | तिलहन, धान्य तथा दलहन | पिछौर | पिछौर | - | Ramraja Multi-State Agro Co-operative Society Ltd. BDA Colony, A-7, Tulsi Nagar, Bhopal District Bhopal, Madhya Pradesh - 462001 | श्री संजय गुप्ता मो.नं.- 9425338189 |
| 3 | तिलहन, धान्य तथा दलहन | निवाड़ी | निवाड़ी | - | Ramraja Multi-State Agro Co-operative Society Ltd. BDA Colony, A-7, Tulsi Nagar, Bhopal District Bhopal, Madhya Pradesh - 462001 | श्री संजय गुप्ता मो.नं.- 9425338189 |

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित एवं आदेशानुसार)

सहायक संचालक (नियमन)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल